05/2018

नम्बर व तारीख हुक्म जो ... में जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6 06/2022	पत्रावली आज पेश हुई। अन्य कार्य में व्यस्तता के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। पत्रावली वास्ते सुनाने आदेश दिनांक 14/6/2022 को पेश हो। S.D.O.	
14 6/22	पत्रावली पेश हुई। प्रति. रामचन्द्र के अन्य मु.- महावीर प्रसाद वगैरह द्वारा हस्तगत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा-11 सपठित धारा- 151 CPC के विरुद्ध वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा फुलनाल में स्थित वाद-पत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में वादीगण भैरुलाल शिवलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, धनरूपाम पुत्र नथमल ने दिनांक 21.06.1989 को एक वाद विरुद्ध प्रति. रामचन्द्र पुत्र धीमाराम अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92A राज. काश्त अधि. प्रस्तुत किया, जो मुकदमा 33/1989 उनवान भैरुलाल वगैरह बनाम रामचन्द्र वगैरह था, जो दिनांक 5.4.1999 को मेरिट पर निस्तारण हुआ, पश्चातवर्ती वाद में वादी पूर्ववर्ती वाद के पक्षकार वादी भैरुलाल व शिवलाल के वारिसान व वादी सं. 3 धनरूपाम द्वारा पुनः उक्त पश्चातवर्ती वाद संस्थित कर के रामचन्द्र के अन्य मु. के विरुद्ध जो पूर्ववर्ती वाद में प्रति. संख्या (1) थे, के विरुद्ध वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो पोषणीय नहीं है, उक्त वाद धारा-11 CPC के तहत वाद बाई-लों एवं पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है। अतः पश्चातवर्ती वाद मय खर्चा खारिज फरमावें। अप्रार्थी वादीगण द्वारा जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 33/1989 में वादी पक्षकार भैरुलाल जी व शिवलाल जी दोनों ही ग्रामीण परिवेश के एवं अनपढ़ व्यक्ति थे तथा मूल वाद-पत्र वादी धनरूपाम की ओर से वाद-पत्र पर अपने हस्ताक्षर [illegible] दिनांक के समक्ष पेश किया गया था [illegible] खसरा संख्या 296 बाबत कोई [illegible]। वाद संख्या 33/1989 दिनांक [illegible] तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राथमिक डिक्री किया गया, वादी क्र. 1 भैरुलाल का देहान्त दिनांक 19.4.1995 को हो गया था। अतः वाद-पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो ... की तामील ...
	उपसमन हो गया था। अतः पश्चातवर्ती कार्यवाही शून्य है। प्रकरण में दिनांक 05/04/1999 को अन्तिम डिक्री पारित की गई, जिसका अन्दर अवधि जवाब देहिन्दा को कोई जानकारी नहीं हुई। इस प्रकार पूर्ववर्ती प्रकरण का मेरिट पर निर्णय नहीं हुआ। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें। वाद-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण जो भैरूलाल, नथमल व शिवलाल के वारिसान होना अंकित है, द्वारा वाद-पत्र के पैरा संख्या 3 में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व निर्णित वाद संख्या 36/89 का अंकन है। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के प्रकरण संख्या 33/89 के निर्णय दिनांक 05.04.1999 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पूर्व निर्णित के प्रकरण में भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, शिवलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण एवं घनश्याम पुत्र नथमल बतौर वादी तथा रामचन्द्र पुत्र धीसाराम बतौर प्रतिवादी संयोजित थे। हस्तगत पश्चातवर्ती वाद पत्र में वादी संख्या 1 भैरूलाल का पुत्र 2 स्वयं घनश्याम किंतु तथा 3 व 4 वादी शिवलाल के पुत्र है। पूर्ववर्ती वाद राज० काश्त० अधि०- 1955 की धारा 88, 92A व 53 से संबंधित था। पश्चातवर्ती हस्तगत वाद-पत्र राज० काश्त० अधि० 1955 की धारा-88 व 92A से सम्बन्धित है। पूर्ववर्ती निर्णित वाद में वादग्रस्त आराजी तथा वर्तमान हस्तगत पश्चातवर्ती वाद-पत्र मय वादग्रस्त आराजी एक समान है, इस प्रकार पूर्व निर्णित वाद पत्र के निर्णय एवं वर्तमान वाद-पत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी, पक्षकार एवं विवाद की विषय वस्तु एक समान है, अतः [illegible] पर [illegible] अनुमति नहीं दी [illegible] नवीन वाद प्रस्तुत [illegible] वाद-पत्र [illegible] जा सकती, वादीगण [illegible] की गई है जबकि [illegible] के निर्णय की अपील नहीं [illegible] वो ऐसा कर सकते थे। वर्तमान वाद-पत्र के वादीगण एवं वादीगण एवं पूर्ववर्ती वाद-पत्र के वादीगण एवं [illegible] समान है, अतः वादीगण को यह अधिकार नहीं है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:18 IST
Reason: SelfAttested

05/2018

नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इस[illegible] तामील में[illegible] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
	कि वो इस आधार पर विशेष छूट का आग्रह करें कि तथ समय निर्णित पूर्ववर्ती वाद-पत्र में कोई प्रक्रियागत त्रुटि रही हो, यह वादी का कर्तव्य होता है कि वह न्यायालय को इस सम्बन्ध में यथा समय समुचित एवं सहयोग करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विचाराधीन हस्तगत वाद-पत्र एवं पूर्ववर्ती निर्णित वाद पत्र सं. 33/89 निर्णय दिनांक 05.04.1999 मय पक्षकार, पक्षकारान के मध्य विद्यमान विवादक विषय, वाद ग्रस्त आराजी प्रथमतः एवं सारवान रूप से एक समान है जिसका निर्णय पूर्ववर्ती वाद-पत्र संख्या 33/89 के निर्णय दिनांक 05.04.1999 द्वारा अन्तिम रूप किया जा चुका है, जिसे पुनः नहीं सुना जा सकता न ही विचारण किया जा सकता, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत पश्चातवर्ती वाद-पत्र सीविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-11 में वर्णित पूर्वन्याय (Resjudicata) से बाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:18 IST
Reason: SelfAttested